रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082024-256659
CG-DL-E-27082024-256659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946
No. 656] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

फा. सं. 18-12/2021-बीयूएसएस (एसआईडी-यूजी-एमईएस).—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एतद्द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2023 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2023, में विनियम 10 में, उप-विनियमन (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) (क) बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी के माध्यम से पूरे वर्ष वास्तविक समय के आधार पर संबंधित नियामक निकाय या आयोग या आयोग के स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) प्रत्येक सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय अथवा संस्था शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ, अस्पताल स्टाफ, इंटर्न सहित स्नातकोत्तर छात्रों की उपस्थिति अंकित करने के लिए केन्द्रीयकृत आधार समथत बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली से जुड़ेगा और केन्द्रीकृत आधार समथत बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली से ऑनलाइन उपस्थिति संबंधी आंकड़े प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने का प्राधिकार आयोग के पास होगा।"

सच्चिदानंद प्रसाद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./431/2024-25]

NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

F. No. 18-12/2021-BUSS (SID-UG-MES).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Commission hereby makes the following regulations to amend the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024, namely: -

1. **Short title and commencement. - (1)** These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024, in regulation 10, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(5) (a) Biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or the Commission or the Autonomous Boards of the Commission on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the Commission;

(b) every Siddha Medical College or institution shall connect with the centralised Aadhar Enabled Biometric Attendance System for marking attendance of the teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, postgraduate students including interns and the Commission shall be the authority to access and analyse attendance data online from the centralised Aadhar Enabled Biometric Attendance System."

SACHIDANAND PRASAD, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./431/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.27 20:18:34 +05'30'